

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2847 /

जबलपुर, दिनांक 06/11 /2020

दो-14-137 / 16

श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 14.05.2020 से 30.06.2020 तक 48 दिन में से दिनांक 27.06.2020 से 30.06.2020 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए दिनांक 27.06.2020 से 23.12.2020 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश तथा मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है एवं रजिस्ट्री द्वारा जारी कोविड-19 कोरोना महामारी के बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए कर्तव्य पर उपस्थित होने पर स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2848 /

जबलपुर, दिनांक 06/11 /2020

दो-14-137 / 16

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर  
पता- श्रीमती चित्ररेखा जाम्पुरे, ग्राम छोटी घुसमारा, पोस्ट पाथरगांव तह. लॉजी बालाघाट  
पिन 481222  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (न्या.-एक)

५